

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या - 07/2020

जी.सी.एम.एस नम्बर - 2020/00012

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेंट्स:-

1. कुपाराम पुत्र चतराजी उम्र व्यस्क जाति चौधरी निवासी गुड़ा अखेराज तहसील देसूरी जिला पाली राज.

1. श्रीमान नायब तहसीलदार, देसूरी जिला पाली राजस्थान
2. पटवारी हल्का केसूली तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान

उपस्थिति:-

1. श्री घनश्याम राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स


अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 30-01-2019 बअनवान सरकार बनाम कुपाराम प्रकरण संख्या 419/19 में पारित नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित आदेश बाबत

:-आदेश:-

दिनांक 26.07.2021

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट्स ने संवत् 2075 में धारा 91 की कार्यवाही कर नोटिस तामिल करवाया। जिसका जवाब तारीख पेशी दिनांक 30/01/19 को दिया व उसी तारीख को अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसको मुगालते में रखते हुये आदेश पारित किया जबकि उक्त आदेश की उसे कोई जानकारी नहीं दी। उसके हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर उपस्थिति के करवा दिये। पटवारी हल्का केसूली के रिपोर्ट पर खसरा नंबर 5 की भूमि जो ग्राम गुडा अखेराज मे आई हुई स्थित है के रकबा 0.02 हैक्टर पर पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल करने व लगान का 50 गुना पेनल्टी लगाकर आदेश पारित किया जबकि अपीलाण्ट किसी भी प्रकार अतिक्रमी नहीं है अपीलाण्ट का अपने प्लोट पर सेटल पजेशन चला आ रहा है जो आबादी भूमि है जिसका पट्टा पंचायत केसूली द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष मे सन् 1986 में जारी किया तब से से अपीलाण्ट काबिज है इस प्रकार उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अपीलाण्ट को दिये बिना उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअंदाज करते हुये जल्दबाजी में जो आदेश पारित किया है वो विधि व तथ्यों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही उक्त आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट को जिस दिनांक को नोटिस दिया उसी दिनांक को अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया व उसके उपस्थिति के खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये व उसी दिन अपीलाण्ट को जानकारी दिये उक्त आदेश पारित कर दिया। उसकी जानकारी अपीलाण्ट को सिविल न्यायालय देसूरी के प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त आदेश प्रस्तुत करने पर हुई। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर जानकारी हुई। जिस पर अपीलाण्ट की ओर से उक्त अपील प्रस्तुत है। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया व मुगालते में रख कर



आर.ए.एस. (सहायक)
जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली

हुई स्थित है के रकबा 0.02 हैक्टर पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने व लगान का 50 गुना पेनल्टी लगाकर आदेश पारित किया जबकि अपीलान्ट किसी भी प्रकार अतिक्रमी नहीं है अपीलान्ट का अपने प्लोट पर सेटल पजेशन चला आ रहा है जो आबादी भूमि है जिसका पट्टा पंचायत केसूली द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में सन् 1986 में जारी किया तब से से अपीलान्ट काबिज है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश केवल रेस्पोजेण्ट संख्या 2 पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर कर दिया लेकिन अपीलान्ट पट्टाशुदा आबादी भूमि पर काबिज है तथा जिस भूमि पर अपीलान्ट काबिज है वह खसरा नंबर 5 की भूमि हो इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है न ही पटवारीजी द्वारा कोई सीमांकन आदि किया। इस आधार पर अपीलान्धीन आदेश निरस्त योग्य है अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण खसरा नंबर 5 की भूमि पर नहीं किया बल्कि अपीलान्ट आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 65 मिसल संख्या 30/85-86 से शांतिपूर्वक व लगातार पट्टे से काबिज है पट्टा दिनांक 23-09-1986 को जारी हुआ है। इस प्रकार रेस्पोजेण्ट्स इतने लम्बे समय बाद कार्यवाही की है जो गलत रूप से बिना आधार के की है इसलिये अपीलान्धीन आदेश निरस्त योग्य है अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा जो ग्राम पंचायत केसूली द्वारा जारी किया है जिसकी जानकारी रेस्पोजेण्ट को उक्त आदेश से पूर्व थी उसके बावजूद बिना साक्ष्य व दस्तोवज के अभाव में उक्त आदेश पारित करने से भारी भुल की है जो आदेश निरस्त योग्य है। धारा 91 की कार्यवाही गलत रूप से रेस्पोजेण्ट्स ने अपीलान्ट के विरोधी पक्षकार से मिलीभगत कर की है जो आधार हीन होने से निरस्त योग्य है। अपील स्वीकार फरमाकर अपीलान्धीन आदेश निरस्त फरमावे व अन्य सहायता जो न्यायप्रद हो अपीलान्ट को प्रदान करावे।


7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्ट्स ने बहस द्वौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी का निर्णय दिनांक 30.01.2020 को पारित किया गया है कि विधि संगत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जिसको वहा हटाया जाना जरूरी है। अपीलान्ट ग्राम गुड़ा अखेराज के खसरा नंबर 5 किस्म बारानी दोयम में 0.2 भूमि सिवाय चक भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसी आदेश को यथावत रखा जावे। जिससे भविष्य में अपीलान्ट द्वारा सिवाय चक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज करावे।

8. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा गांव गुड़ा अखेराज, पटवार हल्का केसूली में स्थित खसरा नंबर 5 रकबा 0.17 किस्म बारानी दोयम भूमि में से 0.02 हैक्टर सिवाय चक भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया तथा उक्त आराजी से बेदखल कर उक्त आराजी के वार्षिक लगान 1.00 का 50 गुणा राशि 50 रूपये जुर्माना अपीलान्ट के विरुद्ध आरोपित किया साथ ही भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश में अपीलान्ट कुपाराम को सुना जाकर तथा जवाब प्रस्तुत करने पश्चात् आदेश दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण अनवान सरकार जरिये पटवार हल्का केसूली बनाम कुपाराम नंबर 419/19 अंतर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की अपीलान्ट को पुरी जानकारी थी। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था। तहसीलदार भूमिधारक होने के नाते उनका यह कर्तव्य है

अभि
जिना कर्कर (सीलिंग)
यात्री (सिब)

कि खाता नंबर एक में उल्लेखित सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न प्रावधान दिये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, देसूरी का निर्णय दिनांक 30-01-2019 को यथावत रखा जाता है तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 419/2019 में नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-01-2019 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।



Handwritten signature
जिजा क्लर्क (सीलिंग)
पासी (राज्य)

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Handwritten signature
जिजा क्लर्क (सीलिंग)
पासी (राज्य)

आदेश पारित कर दिया जो वक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है इस कारण अपील स्वीकार योग्य है उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के विरुद्ध प्रकरण के तथ्य साबित होने आवश्यक है परन्तु प्रकरण के तथ्य साबित हुये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो उक्त आदेश न्यायिक प्रक्रिया को दूषित ही नहीं करता बल्कि अपीलाण्ट के मूलभूत हितों पर भयंकर कुठाराघात करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश केवल रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर कर दिया लेकिन अपीलाण्ट पट्टाशुदा आवादी भूमि पर काबिज है तथा जिस भूमि पर अपीलाण्ट काबिज है वह खसरा नंबर 5 की भूमि हो इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है न ही पटवारीजी द्वारा कोई सीमांकन आदि किया। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है अपीलाण्ट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण खसरा नंबर 5 की भूमि पर नहीं किया बल्कि अपीलाण्ट आवादी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 65 मिसल संख्या 30/85-86 से शांतिपूर्वक व लगातार पट्टे से काबिज है पट्टा दिनांक 23-09-1986 को जारी हुआ है जिसकी प्रति साथ संलग्न है। यदि वास्तव में अपीलाण्ट का अतिक्रमण होता तो रेस्पोंडेण्ट्स सन् 1986 में ही धारा 91 की कार्यवाही अपीलाण्ट के विरुद्ध कर देते लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट्स इतने लम्बे समय बाद कार्यवाही की है जो गलत रूप से बिना आधार के की है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है अपीलाण्ट के पक्ष में जारी पट्टा जो ग्राम पंचायत केसूली द्वारा जारी किया है जिसकी जानकारी रेस्पोंडेण्ट को उक्त आदेश से पूर्व थी उसके बावजूद बिना साक्ष्य व दस्तोवज के अभाव में उक्त आदेश पारित करने से भारी भूल की है जो आदेश निरस्त योग्य है। धारा 91 की कार्यवाही गलत रूप से रेस्पोंडेण्ट्स ने अपीलाण्ट के विरोधी पक्षकार से मिलीभगत कर की है जो आधार हीन होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन को सिविल कोर्ट देसूरी में उक्त आदेश प्रस्तुत करने पर हुई। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर उक्त आदेश अंदर म्याद प्रस्तुत की है। जिस दिन आदेश पारित किया। उस दिन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी अपीलाण्ट ने उस दिन जवाब प्रस्तुत किया था तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही आदेश पारित किया। जिसकी जानकारी होने पर उक्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत है लेकिन फिर भी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे व अन्य साहयता जो न्यायप्रद हो अपीलाण्ट को प्रदान करावे।


2. अपील म्याद बाहर होने से अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. वकील रेस्पोंडेण्ट्स ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया।

बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि रेस्पोंडेण्ट्स ने संवत् 2075 में धारा 91 की कार्यवाही कर नोटिस तामिल करवाया। जिसका जवाब तारीख 01/01/19 को दिया व उसी तारीख को अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसको मुगालते में रखते हुये आदेश पारित किया जबकि उक्त आदेश की उसे कोई जानकारी नहीं दी। उसके हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर उपस्थिति के करवा दिये। पटवारी हल्का केसूली के रिपोर्ट पर खसरा नंबर 5 की भूमि जो ग्राम गुडा अखेराज में आई



जसि जिजा कुब्टर (सी.एम.)
पाली (राज.)